

[illegible]

दिनांक: 23 अप्रैल, 2007

पुनर्न्यास, निवेदन, विधुत विवरण, निगम वि०,
मध्यमचिल, लेखानुस, पूर्वाचिल, आराणाता/भाषेचमचिल, मेरठ/
दाक्षिणाचिल, आगरा/केस्की, कानपुर ।

विषय :- कोस्ट लायथा के अन्तर्गत हृदय रोग के उच्चार कराने पर
निर्धारित प्राप्ति

महोदय,

उपयुक्त विधाय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधायक सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/आधारकारियों एवं उनके आश्रित पारिवर्तियों को क्रेडिट सुविधा के अन्तर्गत विनिश्चित कराने हेतु आधारराइजेशन स्थिति निर्गत करते समय आधारलिखित निर्देशों को कृपया कड़ाई से अनुपालन कराने जाने का कृपा करें :-

अथाराइजेशन स्लिप निर्गत दिघा जाना

- १११ अथारोडिजेशन फार्म को जारी करने के लिए वहां अधिकारी तक्षाम है जो आधाछठान सन्धान कार्य देखाते है ।
- १२१ फार्म के तक्षाम मद स्पष्ट रूप से भारे जाने चाहिए । अगर कार्मिक तेषानेवृत्त है तो उनका पा०पा०ओ० नम्बर एवम् पा०पा०ओ० का छायाप्रति भाग संलग्न होना चाहिए ।
- १३१ जन्म तिथि - जन्म तिथि भारते प्रकृत आश्रितों, खासकर कार्मिक के बच्चों का जन्म तिथि का प्रमाण संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
- १४१ मराज का फोटो - यह ताजा खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए और जो अधिकारी फार्म जारी करे उन्हां के द्वारा फोटो भाग सत्यापित होना चाहिए, मोहर सहित । सत्यापन ऐसा हो कि हस्ताक्षर और मोहर का कुछ भाग फोटो पर अवश्य आवे ।

४ब॥ निम्नलिखित की फ़ोटो पर इलाज का सुविधा निम्नानुसार देय नहीं है :-

1. कैमिला पेंशनर ।
2. विभाग में कार्यरत गुलिल विभाग के कार्मिक ।
3. कार्मिक के वह बच्चे जो 25 वर्ष का उम्र पार कर चुके हैं ।
4. कार्मिक के वह बच्चे जो शादीशुदा हैं 25 वर्ष से कम आय का कोई प्रतीक है ।
5. कार्मिक का पति या माता पिता जीवनका आय का कोई प्रतीक है ।
6. तैयदा पर अनुसूचित कार्मिक ।

अथाराइजेशन प्रक्रिया जारी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन्हें
चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत इलाज कराये जाने का सुविधा नियमावलीतः अनुमत्य नहीं
है उन्हें अथाराइजेशन प्रक्रिया न करा जाय अन्यथा का विचार में अथाराइजेशन

1/4
स्लिप जारी करने वाले अधिकारी उसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

आदेश,

॥ कौशल चन्द्र तपसिना ॥
वारंट कार्ड अधिकारी

संख्या: 1391-11 अति/2007 तद्विनांक :

प्रोत्तोलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थि एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 2- तमस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 3- तमस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता विितरण, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, फैजाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झाँसा, कानपुर।
- 4- तमस्त अधीक्षणा अभियन्ता/अधीशाता अभियन्ता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- 5- तमस्त वारंट कार्ड अधिकारी, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- 6- मुख्य अभियन्ता जल-विद्युत, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता विितरण, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 8- तमस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्धा, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शांति भवन, लखनऊ।
- 9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ०नि०, शांति भवन, लखनऊ।
- 10- प्रबन्धकगण : मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, नोएडा
हार्टलाइन कार्डियक केयर सेंटर, इलाहाबाद
इंडिया हार्ट हॉस्पिटल, गेमुता नगर, लखनऊ
कैलाश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नोएडा
नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेंटर, गाँजिबाद
को इस अभिवृत्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया रोगी का फ़ोडट पर चिकित्सा प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि रोगी द्वारा प्रदत्त अथोराइजेशन स्लिप में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भाला-भाँति अनुपालन किया गया है, अन्यथा का निष्ठा में रोगी का चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 11- सचिव, विद्युत प्रसारण विभाग, 105 कार्ति शोखार अपार्टमेंट, 22 स्थान रोड, लखनऊ।
- 12- कट फाइल।

॥ कौशल चन्द्र तपसिना ॥
वारंट कार्ड अधिकारी